

508

प्रपत्र-4

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
केम्प कोर्ट का स्थान :- **मालारोडा**

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 08-5-2017

लोक प्रवालत केम्प कोर्ट मालारोडा

कन्हैया वनाम **रवुराम**
प्रकरण संख्या :- 1/23 अन्तर्गत धारा 53.100 R1961-

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री **कन्हैया मालारोडा** का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

वाद प्रकरण NOT press में स्वीकृत किया जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. **हा नि**
2. **[Redacted]**
3. **कन्हैया**
4. **[Redacted]**

प्रतिवादी पक्ष 1.
2.
3.
4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर **[Signature]**

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

(वादी पक्ष) नाम

(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्वखाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0सदयस्य) (ह0सदयस्य) **सहायक कलक्टर** (ह0सदयस्य) (ह0सदयस्य) ()

अलवर

पीठासीन अधिकारी

न्यायालय सहायक कलक्टर

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तहसील
में जारी हुए

उत्तरान - कन्हैया पंडू व लक्ष्मी

13-2-17

वकील काडी उपर। वकील काडी ने वर
का अन्वयित कारा 53,188 Rs का
का पेश किया काड उवाग (वी रविचंद्र)
अनिवार्य और समक लेखक हामे
पत्रावली डि 16-3-17 की प्रेरण

सहायक कलक्टर
बलवर

399-415
16-2-17

16-3-17

वकील काडी उपर। पत्रावली इन्तजार तलवी हेतु
डि 4-5-17 को पेश थे

सहायक कलक्टर
बलवर

08-5-17 आज पत्रावली केम्प कोर्ट मालावेडा में पेश
हुई। वादी कन्हैयालाल उपर। वादी की तरफ से राजीनामा
प्राप्त पेश कि-डुआ कि दुमारा प्रर्व ने ही बटवारां हो
उका है। वाद प्रकार को जागे चलाना नही चाहते हैं।
वाद को NOT Press में खारिज करवाना चाहते हैं।
वाद NOT Press में खारिज किया जावे।

वाद की आर्डरशीट पर वादी कन्हैयालाल के अग्रग
निशानी कराए गए।

वादी का वाद NOT Press में खारिज किया जाता है
पत्रावली के तहत उवाग होना नमक लिख देने।

संवानित तहसीलदार
बैंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत

एडवोकेट
बैंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत

सहायक कलक्टर
बलवर

अ नि

कन्हैया